पत्रांक–06 / खा0 म0 (विविध) अतिक्रमण–01 / 17 / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–............................

विषय : – **गैर मजरूआ आम / खास, केसरें हिन्द, खास महाल से संबंधित लोक भूमि एवं विभिन्न विभागों की लोक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–67(6), दिनांक–08.02.2017, पत्रांक–126(6), दिनांक–22.02.2017 एवं पत्रांक–364(6), दिनांक–08.05.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विभागीय प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा गैर मजरूआ आम / खास, केसरे हिन्द, खास महाल से संबंधित लोक भूमि एवं अन्य विभागों की लोक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया गया था। लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत विभिन्न जिलों में काफी संख्या में अतिक्रमण से संबंधित शिकायत प्राप्त हुए है, साथ ही उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में सैकड़ो ऐसे अतिक्रमण से संबंधिम मामले प्रतिवेदित है, जो लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर लोकहित याचिका के आलोक में जल निकायों को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने की समीक्षा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा की जा रही है। विभिन्न जिलों से प्राप्त सुचनानुसार कुल–20,836 जल निकायों का अतिक्रमण किया गया है, जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश आपको विभाग के स्तर से दिया गया है।

2. विभागीय पत्रांक–126, दिनांक–22.02.2017 के द्वारा वैसे विभागों की सूची आपको भेजी गयी है, जिन विभागों की सर्वाधिक जमीन आपके जिलान्तर्गत अवस्थित है। विभिन्न विभागो की लोक भूमि को अतिक्रमण से किस प्रकार मुक्त कराया जाय, इस संबंध में भी विभागीय मार्गदर्शन से आपको अवगत कराया जा चुका है। जिन विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों, कार्यालय प्रधान / संस्थान प्रमुख के द्वारा उनके विभाग की जमीन पर किये गये अतिक्रमण की सूचना अंचल अधिकारी को अभी तक नहीं दी गयी है, उन्हें अपने स्तर से निदेशित करना सुनिश्चित करेगें।

3. विभिन्न विभागों की जिन लोक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाता है, वैसे लोक भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि अतिक्रमण मुक्त कराये जाने से संबंधित लोक भूमि की सूची संबंधित थाना को उपलब्ध करा दी जाय, जिनका यह दायित्व होगा कि वैसे लोक भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं हो, इसे थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेगें। उक्त आशय का आदेश पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी दिया जा चुका है।

4. लोक भूमि पर किये गये अतिक्रमण एवं उसे हटाये जाने के संबंध में प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय, साथ ही निम्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद अगले माह के प्रथम सप्ताह में निश्चित् रूप से प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि उसकी समीक्षा विभाग के स्तर से की जा सके :–

विभागीय जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदन

क्र0	विभाग	जिला	अंचल	मौजा	कार्यालय / परिसर / सड़क / जलनिकाय का नाम	अतिक्रमित भूमि का रकवा (एकड़)	स्थाई भूमि अतिक्रमण वाद सं0	वर्तमान में अतिक्रमण की स्थिति	अतिक्रमण हटाने की तिथि	अभियुक्ति

D:\2017\5 May 6 June\Letter\Letter-03-05-17 doc

उल्लेखनीय है कि लोक भूमि पर किये गये अतिक्रमण एवं लोक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने की समीक्षा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित मासिक विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी की जाएगी।

उक्त प्रतिवेदन विभाग को ऑन–लाईन रिर्पोटिंग पोर्टल के माध्यम से समर्पित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश अनुलग्नक–'क' के रूप में संलग्न है।

अनुरोध है कि लोक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों के आलोक में हटाये जाने की प्रभावकारी व्यवस्था करने की कृपा की जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था की जाय।

<u>अनु0–यथाउपरोक्त</u>।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

EMAIL

ज्ञापांक :– 406-(E) /रा0, पटना–15 दिनांक– 30-05-17

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

D:\2017\5 May 6 June\Letter\Letter-03-05-17.doc

Steps to Fill Report:

१. राजस्व विभाग से सम्बंधित प्रतिवेदन को अपलोड करने हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गए ADM के लॉग इन से Online reporting Portal पर लॉग इन करे|

२. विभिन्न विभागों की लोकभूमि पर अतिक्रमण से सम्बंधित प्रतिवेदन को अपलोड करने के लिए Report Entry सेक्सन के Dept Land Enchroachment मेनू पर क्लीक करे|

३. दिए गए फॉर्मेट में सभी विवरणी को भर कर save बटन पर क्लिक कर प्रतिवेदन को सुरक्षित करे| अगर कोई त्रुटी हो गई हो अथवा अतिक्रमण वाद का निष्पादन कर अतिक्रमण हटा दिया गया हो तो उस अतिक्रमण वाद की अद्यतन स्थिति को update करने हेतु निचे दिखाए जा रहे table में उस वाद के आगे लिखे Update link पर क्लिक कर वर्तमान स्थिति भर कर अपडेट बटन पर क्लिक करे|

विभिन्न विभागो की लोकभूमि पर अतिक्रमण से सम्बंधित सूचना		
क्रम संख्या	अतिक्रमित जमीन से सम्बंधित ब्यौरा	वर्तमान स्थिति
1	विभाग का नाम:	Health Deprtment
2	अंचल कार्यालय का नाम:	CO, Barh
3	मौजा का नाम:	anjapur
4	कार्यालय, परिसर, सड़क, जल निकाय का नाम	main road
5	अतिक्रमित भूमि का रकबा (एकड़ में)	15.5 (एकड़)
6	स्थाई अतिक्रमित भूमि अतिक्रमण वाद संख्या	cwjc-1225/2016
7	वर्तमान में अतिक्रमण की स्थिति	अभी अतिक्रमित है
8	अतिक्रमण हटाने की तिथि	
9	अभियुक्ति	abc xyz
		Save Cancel

Comp ID	Dept Name	Circle Name	Mauza Name	Enchroach Land Details	Area	Status	
	Building Construction Department	CO Athmalgola	anjapur	main road	15.500	Ench Removed	Update
	Water Resource Dept	CO Barh	barh	kachi talav, barh	15.500	Enchroached	Update

Total 2 Records Found

४. रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए Generate Report सेक्शन में Dept Land Enchroachment पर क्लीक करे| फिर पेज पर दिखाई दे रहे Load Report बटन पर क्लिक करे| रिपोर्ट को Excel में भी download किया जा सकता है|

Load Report

1 of 1 Find | Next

Excel
PDF
Word

विभिन्न विभा... ...क्रमण से सम्बंधित प्रतिवेदन

क्र०	कम्प्यूटर नं०	जिला	विभाग	अंचल		...र्यालय/ परिसर/ ...ड़क/ जलनिकाय	रकबा (एकड़)	केस नं०	वर्तमान स्थिति	अतिक्रमण हटाने की तिथि	अभियु...
1	1	Patna	Building Construction Department	CO Athmalgola	anjapur	main road	15 500	125	Ench Removed	18/05/2017	N/A dfga
2	2	Patna	Water Resource Dept	CO Barh	barh	kachi talav, barh	15 500	cwjc-1225/2016	Enchroached		high cou sunwai c rahi hai

5/18/2017
12:24:38 PM